



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228127
CG-DL-E-06072021-228127

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2509]
No. 2509]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ 15, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 2710(अ).—केंद्र सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियमावली, 1952 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद् (डीसीसीआई) का गठन करती है तथा नीचे सूचीबद्ध व्यक्तियों को इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है।

1. सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद् के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सूची

क. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 की उप-धारा 1 के खंड (क) के तहत नियुक्त सदस्य

(1) श्री पुनीत डालमिया,

- अध्यक्ष

प्रबंधन निदेशक, डालमिया भारत समूह,

हंसालय भवन, 11वां तल,

15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली,

दिल्ली 110001

- (2) **श्री के सी झंवर,** - सदस्य
 प्रबंधन निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,
 अहुरा सेंटर, पहला तल, महाकाली केव्स रोड,
 अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093
- (3) **श्री एच.एम. बांगुर ,** - सदस्य
 प्रबंधन निदेशक, श्री समेंट लिमिटेड
 बांगुर नगर, जिला अजमेर, बीवर,
 राजस्थान 305 901
- (4) **श्री राकेश सिंह,** - सदस्य
 कार्यकारी अध्यक्ष, दि इंडियन सीमेंट्स लिमिटेड,
 "कॉरमेंडल टावर्स", 93, सेंथोम हाई रोड,
 करपागम एवेन्यू, राजा अन्नामलई पुरम,
 चेन्नई 600 028
- (5) **श्री प्रचेता मजूमदार,** - सदस्य
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
 दूसरा तल, 1, शेक्सपीयर सरनी, कोलकाता – 700071
- (6) **श्री माधवकृष्ण सिंघानिया,** - सदस्य
 उप प्रबंध निदेशक, जे.के.सीमेंट लिमिटेड
 पदम टावर, 19, डीडीए सामुदायिक केंद्र,
 ओखला, फेज- I नई दिल्ली – 110020
- (7) **श्री दीपक खेत्रपाल,** - सदस्य
 प्रबंध निदेशक और सीईओ,
 ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, तीसरा तल,
 बिड़ला टावर, 25, बाराखंबा रोड,
 नई दिल्ली – 110001
- (8) **श्री पी. राधाकृष्णन,** - सदस्य
 पूर्णकालीन निदेशक और सीईओ, केसाराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 एचओ नं. 613-616, ब्लॉक III, व्हाइट हाउस, 6-3-1192/1/1,
 कुंदनबाग, बेगमपेट, हैदराबाद – 500016
- (9) **श्री नीलेश नारवेकर,** - सदस्य
 सीईओ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड,
 जेएसडब्ल्यू सेंटर, एमएमआरडीए ग्राउंड के सामने,
 बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
 मुंबई- 400051

- (10) श्री राजेंद्र चमडिया, - सदस्य
उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक,
स्टार सीमेंट लिमिटेड,
281 दीपाली, पीतमपुरा
दिल्ली-110034.
- (11) श्री एम.एस.गिलोत्रा, - सदस्य
प्रबंधन निदेशक, सौराष्ट्र/गुजरात सीधी सीमेंट लिमिटेड
अग्रिम बिजनेस सेंटर, तीसरा तल,
एन.के.मेहता इंटरनेशनल हाउस,
178 बैक-वे रिक्लेमेशन, मुंबई 400020
- ख. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 की उप-धारा 1 के खंड (ख) के तहत नियुक्त सदस्य
- (12) महानिदेशक, - सदस्य
राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद्,
34 केएम स्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड,
बल्लभगढ़ 121 004 (हरियाणा)
- (13) महानिदेशक, - सदस्य
भारतीय मानक ब्यूरो,
9 बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
- (14) निदेशक, - सदस्य
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान,
रुड़की 247667, उत्तराखंड
- (15) निदेशक, - सदस्य
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,
दिल्ली-मथुरा रोड, पी.ओ. सीआरआरआई
नई दिल्ली 110 025
- (16) सीमेंट मानुफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) के प्रतिनिधि, - सदस्य
7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज, फेज-II,
नई दिल्ली- 110070
- ग. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 की उप-धारा 1 के खंड (ग) के तहत नियुक्त सदस्य
- (17) अध्यक्ष, - सदस्य
अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ (बीएमएस),
स्वास्तिक कॉम्प्लैक्स तिरुपति पार्क-2,

- जामनगर-361009,
- (18) श्रम आयुक्त, - सदस्य
 आंध्र प्रदेश,
 श्रम आयुक्त का कार्यालय, पतुरीज प्राइड,
 पपइया स्ट्रीट एक्स रोड, सीतारामपुरम,
 विजयवाड़ा- 520 002
- (19) श्रम आयुक्त, - सदस्य
 राजस्थान,
 श्रम भवन, शांति नगर,
 खातीपुरा रोड हसनपुरा,
 जयपुर- 302006
- घ. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 की उप-धारा 1 के खंड (घ) के तहत नियुक्त सदस्य
- (20) अध्यक्ष, - सदस्य
 कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई),
 पांचवा तल, पीएचडी हाउस, 4/2 श्री इंडस्ट्रीयल एरिया,
 अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 110016
- (21) अध्यक्ष, - सदस्य
 भारतीय भवन निर्माता संघ,
 जी-1/जी-20, वाणिज्य केंद्र,
 जे. दादाजी रोड, तारदेव,
 मुंबई 400034
- ड. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और अन्य सरकारी विभागों से पदेन सदस्य
- (22) अपर सचिव/संयुक्त सचिव (सीमेंट) - सदस्य
 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग,
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
 उद्योग भवन, नई दिल्ली 110 011
- (23) कार्यकारी निदेशक, - सदस्य
 ट्रैफिक परिवहन,
 रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली 110 001
- (24) नामिति, - सदस्य
 शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय,
 निर्माण भवन, नई दिल्ली

(25) नामिति,

- सदस्य

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड
नई दिल्ली- 110 003

2. सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद् के कार्य:

- (i) अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, गुणवत्ता में सुधार और लागत को कम करने के मद्देनजर दक्षता के मानदंडों का सुझाव देना।
- (ii) स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने और उद्योग, विशेष रूप से कम कुशल इकाइयों, के कामकाज में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- (iii) उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देना।
- (iv) नई सामग्री, उपकरण और विधियों की खोज और विकास और पहले से उपयोग में आने वाले तरीकों के सुधारों सहित सामग्रियों और उपकरणों तथा उत्पादन, प्रबंधन और श्रम उपयोग के तरीकों के संबंध में जांच संवर्धन तथा जांच शुरू करना, विभिन्न विकल्पों के फायदों का मूल्यांकन और व्यावसायिक स्तर पर प्रयोगात्मक प्रतिष्ठानों और परीक्षणों का संचालन।
- (v) उद्योग में कार्यरत अथवा प्रस्तावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण और तकनीकी या इसके संगत कलात्मक विषयों में उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करना।
- (vi) उद्योग से जुड़े या छंटनी किए गए कर्मियों के वैकल्पिक व्यवसायों में बने रहने को बढ़ावा देना।
- (vii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, औद्योगिक मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाले मामलों पर अनुसंधान और उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोग या उपभोग तथा उत्पादन से संबंधित मामलों में अनुसंधान को बढ़ावा देना या शुरू करना।
- (viii) लेखांकन और लागत विधियों एवं अभ्यास संबंधी सुधारों तथा मानकीकरण को बढ़ावा देना।
- (ix) लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर, उत्पादन के चरणों तथा प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण की संभावनाओं का पता लगाना।
- (x) श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के प्रावधान एवं सुरक्षित और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के उपायों सहित श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के उपायों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- (xi) उद्योग से संबंधित किसी भी मामले (वेतन और रोजगार की शर्तों के अलावा) पर सलाह देना जिसका केंद्र सरकार विकास परिषद् से सलाह के लिए अनुरोध करे और विकास परिषद् को सलाह के लिए सक्षम बनाने के प्रयोजन से जांच करना।

3. सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद् का उपर्युक्त गठन, इस शर्त के अध्यक्षीन है कि यह न्यायालयों एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और अन्य शीर्ष न्यायिक निकायों के किसी आदेश के प्रतिकूल नहीं होगा।

[फा.सं. पी-31026/2/2019-सीमेंट]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O 2710(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby establishes a Development Council for Cement Industry (DCCI) and appoints the persons as listed below to be the Members of the said Council, for a period of two years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

1. List of persons appointed for Development Council for Cement Industry:

A. Members appointed under clause (a) of sub-Section (i) of section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

- | | | |
|-----|---|------------|
| (1) | Shri Puneet Dalmia,
Managing Director, Dalmia Bharat Group,
Hansalaya Building, 11th floor,
15, Barakhamba Rd, New Delhi,
Delhi 110001 | - Chairman |
| (2) | Shri K. C. Jhanwar,
Managing Director, UltraTech Cement Limited,
Ahura Centre, 1st Floor, Mahakali Caves Road,
Andheri (East), Mumbai 400 093 | - Member |
| (3) | Shri H.M. Bangur,
Managing Director, Shree Cement Ltd.
Bangur Nagar, Distt Ajmer, Beawar,
Rajasthan 305 901 | - Member |
| (4) | Shri Rakesh Singh,
Executive President, The India Cements Limited,
"Coromandel Towers", 93, Santhome High Road,
Karpagam Avenue, Raja Annamalai Puram,
Chennai 600 028 | - Member |
| (5) | Shri Pracheta Majumdar,
Chief Executive Officer, Birla Corporation Limited,
2nd Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700071 | - Member |
| (6) | Shri Madhavkrishna Singhania,
Deputy Managing Director, J.K. Cement Ltd.
Padam Tower, 19, DDA Community Centre,
Okhla, Phase – I New Delhi – 110020 | - Member |
| (7) | Shri Deepak Khetrpal,
Managing Director and CEO,
Orient Cement Ltd., 3rd Floor,
Birla Tower, 25, Barakhamba Road,
New Delhi – 110001 | - Member |

- (8) **Shri P. Radhakrishnan,** - Member
Whole-time Director & CEO, Kesoram Industries Ltd.
HO No 613-616, Block III, White House, 6-3-1192/1/1,
Kundanbagh, Begumpet, Hyderabad – 500016
- (9) **Shri Nilesh Narwekar,** - Member
CEO, JSW Cement Ltd.,
JSW Centre, Opp MMRDA Ground,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400051
- (10) **Shri Rajendra Chamaria,** - Member
Vice Chairman & Managing Director,
Star Cement Limited,
281 Deepali, Pitampura
Delhi -110034.
- (11) **Shri M. S. Gilotra,** - Member
Managing Director, Saurashtra/Gujarat Sidhee Cement Ltd
Agrima Business Centre, 3rd Floor,
N.K. Mehta International House,
178 Backbay Reclamation, Mumbai 400020
- B. Members appointed under clause (b) of sub-section 1 of section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).**
- (12) **Director General,** - Member
National Council for Cement and Building Materials,
34 KM Stone, Delhi-Mathura Road,
Ballabgarh 121 004 (Haryana)
- (13) **Director General,** - Member
Bureau of Indian Standards,
9 Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002
- (14) **The Director,** - Member
Central Building Research Institute,
Roorkee 247667, Uttarakhand
- (15) **The Director,** - Member
Central Road Research Institute,
Delhi-Mathura Road, P.O.CRRI
New Delhi 110 025
- (16) **Representative of Cement Manufacturers' Association (CMA),** - Member
7 Institutional Area, Vasant Kunj, Phase-II,
New Delhi – 110070

- C. Members appointed under clause (c) of sub-section 1 of section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).**
- (17) **President,** - Member
 Akhil Bhartiya Cement Mazdoor MahaSangh (BMS),
 Swastik Complex Tirupati Park-2,
 Jamnagar-361009,
- (18) **Labour Commissioner,** - Member
 Andhra Pradesh,
 O/o Commissioner of Labour, Paturi's Pride,
 Papaiah Street X Roads, Seetharampuram,
 Vijayawada – 520 002
- (19) **Labour Commissioner,** - Member
 Rajasthan,
 Shram Bhawan, Shanti Nagar,
 Khatipura Road Hasanpura,
 Jaipur – 302006
- D. Members appointed under clause (d) of sub-section 1 of section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).**
- (20) **President,** - Member
 Confederation of Real Estate Developers Associations of India (CREDAI),
 5th Floor, PHD House, 4/2 Siri Industrial area,
 August Kranti Marg, New Delhi. 110016
- (21) **President,** - Member
 Builders' Association of India,
 G-1/G-20, Commerce Centre,
 J. Dadajee Road, Tardeo,
 Mumbai 400034
- E. Ex-officio members from Department for Promotion of Industry and Internal Trade and other government departments.**
- (22) **Additional Secretary/Joint Secretary (Cement)** - Member
 Department for Promotion of Industry and Internal Trade,
 Ministry of Commerce & Industry,
 Udyog Bhawan, New Delhi 110 011
- (23) **Executive Director,** - Member
 Traffic Transportation(s),
 Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi 110 001
- (24) **Nominee,** - Member
 Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation,
 Nirman Bhawan, New Delhi

- (25) **Nominee,** - Member
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Indira Paryavaran Bhavan, Jorbagh Road
New Delhi - 110 003

2. Functions of the Development Council for Cement Industry:-

- (i) Suggesting norms of efficiency with a view to eliminating waste, obtaining maximum production, improving quality and reducing costs;
- (ii) Recommending measures for securing the fuller utilization of the installed capacity and for improving the working of the industry, particularly of the less efficient units;
- (iii) Promoting standardization of products;
- (iv) Promoting or undertaking inquiry as to materials and equipment and as to methods of production, management and labour utilization, including the discovery and development of new materials, equipment and methods and of improvements in those already in use, the assessment of the advantages of different alternatives and the conduct of experimental establishments and of tests on a commercial scale;
- (v) Promoting the training of persons engaged or proposing engagement in the industry and their education in technical or artistic subjects relevant thereto;
- (vi) Promoting the retaining in alternative occupations of personnel engaged in or retrenched from the industry;
- (vii) Promoting or undertaking scientific and industrial research, research into matters affecting industrial psychology and research into matters relating to production and to the consumption or use of goods and services supplied by the industry;
- (viii) Promoting improvements and standardization of accounting and costing methods and practice;
- (ix) Investigating possibilities of decentralizing stages and processes of production with a view to encouraging the growth of allied small scale and cottage industries;
- (x) Promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour, including measures for securing safer and better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and
- (xi) Advising on any matters relating to the industry (other than remuneration and conditions of employment as to which the Central Government may request the Development Council to advise and undertaking inquiries for the purpose of enabling the Development Council so to advise.

III. The Constitution of Development Council for Cement Industry is subject to condition that it will not contravene any orders of the Hon'ble Courts or Competition Commission of India (CCI) and other Apex Judicial Bodies.

[F. No. P-31026/2/2019-CEMENT]
VANDANA KUMAR, Jt. Secy.